नामान्तरण अपील वाद सं0 19/2019–20

श्री भोला साव, पिता– श्री राजु साव मोहल्ला– गाड़ीखाना चाईबासा................अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा।

आदेश

आदेश का क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई की संक्षि- टिप्पणी एव तारीख
04 02/2021	यह नामान्तरण अपील अपीलार्थी श्री भोला साव, पिता– श्री राजु साव, मोहल्ला– गाड़ीखाना चाईबासा, थाना– सदर चाईबासा, के द्वारा अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के न्यायालय में नामान्तरण वाद संख्या–**540R27/2018-19** में दिनांक 30.05.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील दायर होने के उपरान्त अंचल अधिकारी सदर चाईबासा को नोटिस निर्गत की गई, जिसके आलोक में सरकारी अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा की ओर से उपस्थिति दर्ज करायी गई। निम्न न्यायालय से प्रश्नगत नामान्तरण वाद का मूल अभिलेख प्राप्त कर अवलोकन किया गया है। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में सूचित किया है कि मौजा– नीमडीह, थाना नं०–641, खाता सं०–160, प्लॉट सं०–164 तक रकवा–02 डी० 771 वर्गकड़ी भूमि को निबंधित विक्रय दलील संख्या– 131 दिनांक 27.02.2019 के द्वारा श्री राजु कुमार, पिता– श्री सम्पूर्णनन्द राम बडीबाजार से क्रय किया है। उक्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन को अंचल अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2019 के द्वारा रद्ध कर दिया। आदेश में निहित भूमि का संक्षिप्त ब्योरा निम्नांकित हैः– 1. विगत सर्वे (CS) खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा नीमडीह, थाना नं०–641 के अर्न्तगत खाता सं०–160, प्लॉट न–164, रकवा– 16 डी० में से 02 डी 471 वर्गकड़ी भूमि सनियाल हिंज तथा नैन हिंज पिता दाउद एक अंश समान जाति कृस्तान निवासी निजग्राम दर्ज है। 2. निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा ने नामान्तरण मुकदमा संख्या–**540R27/2018-19** में दिनांक 30.05.2019 को पारित आदेश में इस टिप्पणी के साथ नामान्तरण आवेदन को अस्वीकृत किया है कि **"राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अधार पर नामानतरण अस्वीकृत किया जाता है।"** राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि मूल रैयत सनीयाल हिंज, नैन हिंज, पिता दाउद हिंज इत्यादि के नाम दर्ज हैं, तथा जाति कृस्तान अंकित है, जाँच में प्रस्तावित भूमि का मूल खातेदार आदिवासी समुदाय का बताया गया। अतः नामान्तरण अस्वीकृत हेतु अनुशंसा किया जाता है।" राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि रैयत के खतियान में अंकित जाति से अलग जाती का निधारण कर दिया गया है। जरूरी दास्तावेजों का जाँच किये ही प्रतिवेदन दिया गया हैं। वाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता के पक्ष को सुनने एवं उपलबध कराये गये दस्तावेज के अवलोकन से विदित होता है कि खतियान में भूमि के मूल रैयत का जाति कृस्तान दर्ज हैं। **Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.** में झारखन्ड राज्य के लिये अंकित अनुसुचित जनजाति की सूची में 'कृस्तान' अनुसुचित जनजाति के रूप में अंकित नहीं हैं।	

Scanned with CamScanner

साथ ही खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी दाउद मिल्टन हिंज पिता स्व0 सामुएल हिंज के द्वारा शपथ पूर्वक ब्यान दिया गया है (शपथ पत्र अभिलेख में सलग्न हैं) कि वे और उनके परिवार अनुसुचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आतें हैं तथा उन्होने अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य ने अनुसुचित जनजाति को अनुमान्य लाभ कभी भी नहीं लिया है। दास्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्नगत भूमि का पूर्व में नामान्तरण वाद सं0 427/2014–15 के द्वारा नामान्तरण स्वीकृत होकर वर्तमान विक्रेता राजु कुमार पिता सम्पूर्णनन्द राम के नाम पर पंजी 2 के vol 04 के पृष्ट सं0 52 पर जमाबन्दी कायम हैं। अंचल अधिकारी के द्वारा निर्णय लेते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

ऐसे में नामान्तरण के आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या– 540R27/2018-19 में दिनांक 30.05.2019 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थी के अपील को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर अपीलार्थी के पक्ष में जमाबंदी में आवश्यक सुधार कर शुद्धि पत्र निर्गत करें।

आदेश की प्रति अपीलार्थी तथा अंचल अधिकारी सदर चाईबासा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित

04/02

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

04/02/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय सदर, चाईबासा

ज्ञापांक 84 (B) /रा० दिनांक 06.02.21

प्रतिलिपि :अपीलार्थी – श्री भोला साव, पिता– श्री राजु साव, मोहल्ला– गाड़ीखाना चाईबासा, थाना– सदर चाईबासा, जिला– प० सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner